


नगर पंचायत का कार्यालय, सरायकला

मुक्कदमा संख्या 07/10-11

निम्नलिखित शर्तों के साथ आवेदक / आवेदिका Sri Sukhram Kumhar
पता Saraykella N. No. - VIII
Khata No. - 151, plot No. - 13/A Area - 0.085 Acr का भवन निर्माण
नक्शा स्वीकृत दी जाती है। Const. area - 1248 Sq. ft.
G. floor, built.

1. आवेदक / आवेदिका सरकारी या नगर पंचायत जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण कर जमीन का अतिक्रमण नहीं करेंगे। अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमण अंश को तोड़ दिया जायेगा और तोड़ने पर जो व्यय होगा वह व्यय आवेदक / आवेदिका से वसूला जायेगा।
2. भवन में सेवा शौचालय का निर्माण नहीं करेंगे।
3. भवन में रोशनी के लिये प्रयाप्त रोशनदान की व्यवस्था करेंगे।
4. पुराना भवन तोड़ने के समय आस पास की पड़ोसियों को क्षति नहीं पहुँचायेंगे।
5. नगर पंचायत नाली, जमीन एवं रास्ते से पाँच फीट एवं भवन के तीनों तरफ तीन फीट छोड़कर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।
6. भवन में डीप बोरींग नहीं करेंगे।
7. उक्त निर्मित भवन में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक द्रव्यों का व्यापार या भण्डारण नहीं करेंगे।
8. पत्थर, बालू, गिट्टी, मिट्टी, ईट इत्यादि रख कर नाली या रोड को अवरुद्ध नहीं करेंगे। अवरुद्ध करने पर जुर्माना लागू किया जायेगा।
9. सटे पड़ोसियों के तरफ दरवाजा या खिडकियाँ नहीं खोलेंगे। एवं जमीन अतिक्रमण नहीं करेंगे।
10. पर्यावरण, जल संचयन, जमीन की प्रकृति एवं आदिवासी, गरीबों के हितों का ध्यान रखते हुए भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।
11. आवश्यकता होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले नगर पंचायत अमीन या अंचल अमीन की उपस्थिति में उनकी माप के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।
12. भवन में वज्र निवारण लगाना अनिवार्य है।
13. नक्शे की स्वीकृत अवधि एक साल तक रहेगी, एक साल के बाद नवीकरण कराना अनिवार्य है। नवीकरण नहीं करने पर नक्शे को अस्वीकृत माना जायेगा।
14. नगर पंचायत नाली एवं रोड तरफ शौचालय का पाईप लगाना बाधित है।
15. भविष्य में किसी प्रकार तकनिकी गड़बड़ी उत्पन्न होने पर स्वीकृत नक्शा को खारिज करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।



S. Kumhar
कार्यवाही पदीधिकारी,
नगर पंचायत सरायकला

Sukhram Kumhar

